जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mkkk/08 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 28 दिसम्बर 2020

भाग-1

जयपुर मीट शॉप,जय गुलाब सिंह झटका मीट शॉप,उमर मीट शॉप की अवैध ब्रांचे!!

कनकपुरा फाटक से उठकर खिरणी फाटक पर बस गया मीट का काला कारोबार!!!

नगर निगम जयपुर ग्रेटर के झोटवाडा ज़ोन में स्थित खिरणी फाटक क्षेत्र में चल रही अवैध मीट की दुकाने

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जयपुर मीट शॉप

जय गुलाबी सिंह झटका मीट शॉप

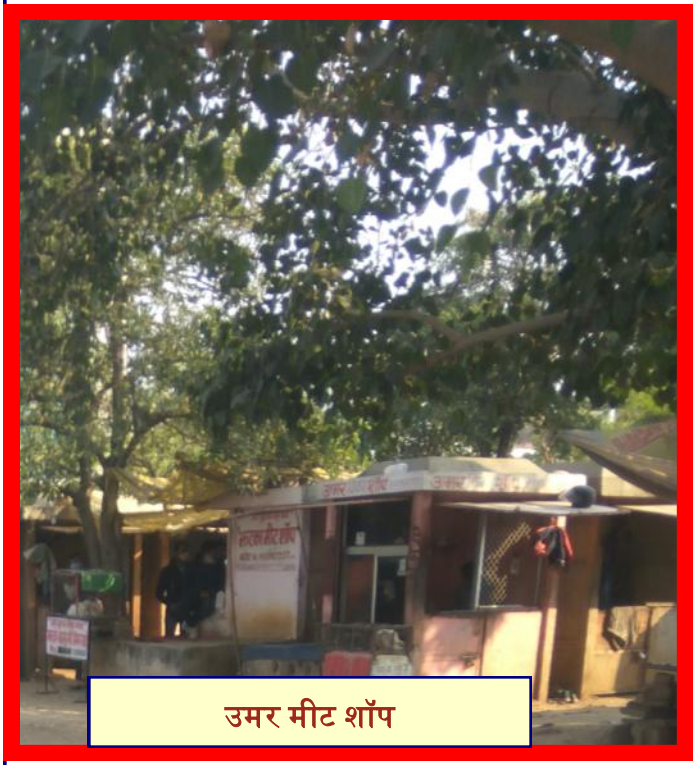

उमर मीट शॉप

खिरणी फाटक क्षेत्र में स्थित सरकारी कियोस्कों में चल रही

जयपुर मीट शॉप

जय गुलाब सिंह झटका मीट शॉप

उमर मीट शॉप

इन दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन को दिखाने के लिए एक एक दूकान का बोर्ड लगा रखा है परन्तु वास्तव में इन तीनो दुकानों के नाम पर इन कियोस्कों में 8-8 दुकाने अवैध रूप से चलायी जा रही है,जिसकी जानकारी निगम प्रशासन को भी है,परन्तु इन दुकानों से मासिक बंधी के चलते जिम्मेदार आँखे मूंदकर बैठे है|

मीट विक्रेताओं से जब 30/35 किलो बकरे का मीट खरीदने की बात कही तो उन्होंने कहा की सारे बकरे आपके सामने कटेंगे|बेईमानी का कोई सवाल नहीं है|

स्टिंग ओपरेशन के अनुसार प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट

1.	भूखंड का पता	खिरणी फाटक स्थित सरकारी कियोस्क ,जयपुर
2.	संचालित गतिविधि	मीट,मछली,चिकन की अवैध दूकाने
3	उल्लंघन की प्रकृति	बिना अनुमति बकरे/बकरियों/भेड़ों की अवैध स्लोटेरिंग
4	क्या मीट व्यापारी द्वारा नगर निगम से वैध लाईसेंस लेकर मीट शॉप का संचालन किया जा रहा है?	पता नही,ना तो नगर निगम द्वारा लाईसेंस प्राप्त दुकानों की सूची निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी है और ना ही मीट शॉप संचालक द्वारा निगम से प्राप्त किसी प्रकार के लाईसेंस को दूकान में प्रदर्शित किया गया है|
5	क्या सम्बंधित दूकान भवन विनियमों के अनुसार अवैध /अतिक्रमण की श्रेणी में तो नहीं है?	अवैध दुकाने है|
6	क्या दूकान की फर्श पुख्ता पत्थर की है?	नहीं
7	क्या दूकान पर सफेदी या रंग किया हुआ है?	नहीं
8	क्या गोश्त पर पशुवध गृह की मोहर लगी हुई है?	नहीं,दूकान में ही अवैध स्लोटेरिंग की जाती है|
9	क्या दूकान के बाहर काला शीशा/चिक जालीदार दरवाजा लगा हुआ है?	नहीं
10	दूकान के बाहर दो डस्टबीन (सुखा कचरा एवं गिला कचरा संग्रहण)	नहीं|
11	क्या संचालक द्वारा पॉलिथीन का उपयोग किया जाता है?	हाँ
12	क्या मांस विक्रेता शारीरिक रूप से स्वस्थ है?	पता नहीं
13	क्या दूकान के आस-पास मक्खी,मच्छर,गंदगी,कुत्ते इत्यादि है ?	हाँ
14	सम्बंधित नगर निगम,ज़ोन	नगर निगम ग्रेटर,झोटवाडा ज़ोन
15	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	सम्बंधित ज़ोन की उपायुक्त श्रीमति ममता नागर,पशु चिकित्सा अधिकारी श्री जितेन्द्र वर्मा
16	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	28/12/2020
17	क्या दूकान मंगलवार और अन्य प्रतिबंधित दिनों में खुलती है?	हाँ
18.	क्या दूकान को सील किया जाना चाहिए?	हाँ

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या इन मीट विक्रेताओं द्वारा विधिवत रूप से नगर निगम से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर मीट विक्रय का व्यवसाय किया जा रहा है?
2. नगर निगम जयपुर ग्रेटर द्वारा बकरा/भेंसा जानवर को वध करने की अनुमति केवल और केवल चैनपुरा स्थित स्लोटर हाउस में ही दी गयी है उसके बावजूद इन अवैध दुकानों में अवैध बुचडखाना(स्लोटर हाउस) क्यों संचालित किया जा रहा है?
3. अपने निजी स्वार्थों और लालच के चलते यह मीट व्यवसायी बकरे के नाम पर भेड़,बकरी/बीमार जानवर का मीट तो नहीं बेचता,इसकी क्या गारंटी है?
4. इन अवैध बुचडखानों(स्लोटर हाउस) के संचालन से नगर निगम को होने वाली राजस्व की हानि का जिम्मेदार निगम के कौन कौन अधिकारी है?
5. इन अवैध बुचडखानों(स्लोटर हाउस) के संचालन से निकलने वाले अपशिष्ठ,गंदगी का निस्तारण नियमानुसार(सीवरेज में बहाकर ,खुले में फैंक कर) नहीं करने पर होने वाले वायु,जलप्रदूषण,बिमारियों का जिम्मेदार कौन है?
6. **पशु क्रूरता निवारण (वधशाला) नियम 2001** के अनुसार मांस के उपयोग हेतु केवल स्वस्थ जानवरों का मीट ही उपयोग में आना चाहिए जिसके लिए निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है,इन दुकानों/मकानों में चल रहे इन अवैध बुचडखानों में यह व्यवस्था नहीं होने से मीट उपभोक्ताओं को बीमार,वृद्ध संक्रमित जानवरों का संक्रमित/दूषित मीट बेच दिया जाता है,मीट उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से गंभीर खिलवाड़ करने के दोषी निगम के कौन-कौन अधिकारी है?
7. इन अवैध अवैध बुचडखानों(स्लोटर हाउस) में वध हेतु जिन्दा पशुओं को तस्करी के द्वारा लाया जाता है,जिससे नगर को पशु हटवाडे के जरिये होने वाली अतिरिक्त आय से महरूम रहना पड़ता है,नगर निगम को होने वाली इस राजस्व की हानि का जिम्मेदार निगम के कौन कौन अधिकारी है?
8. क्या हमारे संज्ञान में लाने के बाद निगम के जिम्मेदार अधिकारी इन अवैध मीट की दूकानों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे या फिर लीपापोती कर,मामले को रफा-दफा कर देंगे?
9. **इस जोन के उपायुक्त ने अपने कार्यकाल के दौरान कितनी अवैध दुकानों को सीज किया है?**
10. क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी **श्री जितेन्द्र वर्मा** द्वारा क्या नियमित रूप से मीट की दुकानों का निरिक्षण किया जाता है?
11. इन अवैध मीट की दूका को बंद करवाने के लिए भी क्या मेयर श्रीमति सौम्या गुर्जर,स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल या फिर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को खुद आना पड़ेगा?

बिना लाइसेंस चल रही मांस की 8 दुकानें सील, 980 किलो मीट डंप करवाया

जयपुर | ग्रेटर नगर निगम की ओर से रविवार को प्रताप नगर में 8 मीट की दुकानों पर सीज की कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कमलेश मीणा ने बताया कि इन दुकानों में स्लॉटरिंग करते हुए पाए गए और वहीं बिना लाइसेंस भी 6 मीट की दुकानें चला रहे थे। इसलिए निगम जोन उपायुक्त की ओर से इन दुकानों को सीज कर दिया है। साथ ही वेस्ट को भी सीवर लाइन के चैंबर में डाल रखे थे। वहीं कुछ दुकानदार कार्रवाई को देख दुकानें बंद करके भाग गए। निगम टीम ने इन दुकानों से 980 किलो मीट जब्त कर मथुरादासपुरा कचरा गाह में डंप करवाया है। वहीं 148 जिंदा मुर्गा को पुरानी कोतवाली स्थित दबावखाना भेजा गया। मेयर सौम्या गुर्जर ने मौके पर जाकर इन दुकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी मीट की दुकानें प्रताप नगर में एनआरआई सर्किल शॉपिंग सेंटर में चल रही थी।